



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांक : एफ. 14 शैक्ष. II (713) / मदसविधि / 2021 /

दिनांक:

समस्त विभागाध्यक्ष / प्रभारी,
शैक्षणिक विभाग,
मदस विश्वविद्यालय,
अजमेर ।

समस्त प्राचार्य,
मदस विश्वविद्यालय, अजमेर से
सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय ।

विषय:- प्रवेश शुल्क लौटाने बाबत ।
सन्दर्भ:- सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक एफ. 14-17 / 2020 / (CPP-II)
दि. 17.12.2020 के क्रम में ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ. 14-17 / 2020 / (CPP-II) दि. 17.12.2020 के साथ संलग्न नोटिफिकेशन अक्टूबर, 2018 से बिन्दु सं. 4.1 Refund of Fees (4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 एवं 4.2.2) में दी गयी सारिणी तथा अंत में दिये गये नोट के अनुसार प्रवेश नहीं लेने वाले विद्यार्थियों को माननीय कुलपति महोदय द्वारा दी गयी स्वीकृति दि. 12.04.2021 की अनुपालना में प्रवेश शुल्क लौटाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

1. If a student chooses to withdraw from the programme of study in which he/she is enrolled, the university shall follow the following five-tier system for the refund of fees remitted by the student.

S.No.	Percentage of Refund of Fees	Point of time when notice of withdrawal of admission is received in the University
1	100%	15 days or more before the formally-notified last date of admission
2	90%	Less than 15 days before the formally-notified last date of admission
3	80%	15 days or less after the formally notified last date of admission
4	50%	30 days or less, but more than 15 days, after formally-notified last date of admission
5	00%	More than 30 days after formally notified last date of admission

NOTE: Caution money and security deposit, which are not part of the fees chargeable, shall be refunded in full.

2. In case of (1) in the table above, the university shall deduct an amount not more than 5% of the fees paid by the student, subject to a maximum of Rs. 5,000/- as processing charges from the refundable amount.
3. Fees shall be refunded by the University to an eligible student within fifteen days from the date of receiving a written application from him/her in this regard.
4. The University shall charge fees in advance only for the semester/year in which a student is to engage in academic activities.

उपरोक्तानुसार प्रवेश शुल्क लौटाये जाने हेतु विश्वविद्यालय कैम्पस के शैक्षणिक विभागों के विभागाध्यक्ष द्वारा जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को प्रवेश शुल्क लौटाये जाने हेतु अग्रपिठ कर दिया गया है उन अभ्यर्थियों को प्रवेश शुल्क लौटाया जाना है ।

आगामी सत्र से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में संचालित सेमेस्टर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से प्रवेश शुल्क सेमेस्टरवार लिया जाना सुनिश्चित करें ।

— Sd—
कुलसचिव

क्रमांक : एफ. 14 शैक्ष. II (713) / मदसविधि / 2021 / 14/25-130 दिनांक : 11/8/21
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
2. वित्त नियन्त्रक, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर ।
3. वेब एडमिनिस्ट्रेटिव, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर को विश्वविद्यालय, वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
4. निजी सचिव, कुलपति/निजी सहा. कुलसचिव, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर ।
5. मीडिया प्रभारी, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर ।

— Sd—
उप कुलसचिव
शैक्षणिक-द्वितीय